विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2016/1675 दिनांक : 30-5-16

प्रति,

प्राचार्य,
श्री गुरु सांदीपनि इन्स्टीट्युट ऑफ मैनेजमेंट,
उज्जैन।

विषय : विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियक्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :- महाविद्यालय का सम्बद्धता आवेदन क्रमांक/103,दिनांक 10.05.2016

शिक्षा सत्र 2016-17 में नवीन संकाय/नवीन विषय/सीट संख्या वृद्धि की जाने/संबद्धता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 30.05.2016 में प्रस्तुत किया गया। उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय को निम्न विवरणानुसार सत्र 2016-17 से शर्तो के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में नितांत अस्थाई संबद्धता प्रदान की जाती है :-

क्रं.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
1	एम.बी.ए. प्रथम वर्ष	60

शर्ते :-1. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक 27 के कॉलम 8(बी) के प्रावधानानुसार फेकल्टी का चयन कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।
2. परिनियम क्रमांक 27 के कॉलम 9(2) के प्रावधान का पालन सुनिश्चित किया जावे।
3. परिनियम क्रमांक 28 के कॉलम 16 के अनुसार नियमों एवं प्रक्रिया का पालन करते हुए प्राचार्य एवं शैक्षणिक स्टॉफ तथा अन्य स्टॉफ का चयन कराया जावे।
4. परिनियम क्रमांक 28 के कॉलम 06 के अनुसार गर्वनिंग बॉडी का गठन किया जावे।
5. परिनियम क्रमांक 28 के कॉलम 14 के प्रावधानानुसार कॉलेज काउन्सलिंग का गठन किया जावे।
6. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक 28(3) (1) के अनुसार रु. 15,000/- की इण्डोमेंट फण्ड की धनराशि की एफ.डी.आर.कुलसचिव,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन एवं प्राचार्य के संयुक्त नाम से बनाकर मूल रसीद विश्वविद्यालय लेखा विभाग में जमा करें।

उपरोक्त शर्तो की पूर्ति दो माह में पूर्ण कर अभिलेख विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें।

नोट :- यह अस्थाई सम्बद्धता ए.आई.सी.टी.ई के पत्र क्रमांक/सेन्ट्रल/2016/1-2843668331,दिनांक 30 अप्रेल 2016,तथा संचालनालय तकनिकी शिक्षा सतपुड़ा भवन,भोपाल के पत्र क्रमांक/04/शैक्ष./जी./कांऊ/2016/113, दिनांक 12.05.2016 के आधार पर प्रदान की गई है।

आदेशानुसार

कुलसचिव

निरंतर...02

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2016/ 1536 दिनांक :- 18.5.2016

-:: सूचना ::-

शिक्षा सत्र 2016-17 में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय/आगामी कक्षा की सम्बद्धता/पूर्व स्वीकृत संख्या में वृद्धि/सम्बद्धता निरंतरता प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिये प्रस्तुत आवेदन पर विचार कर संबंधित महाविद्यालय का निरीक्षण करने हेतु माननीय कुलपतिजी द्वारा परिनियम क्रमांक 27 के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया गया है :-

A महाविद्यालय का नाम :- प्रस्तावित महा. गुरू सांदीपनि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उज्जैन

B आवेदित विषय/पाठ्यक्रम :- (1) एम.बी.ए.,-प्रथम वर्ष एम.बी.ए. (एमआरएम)-प्रथम वर्ष

C समिति के सदस्यों के नाम :-

01. डॉ. आर.के.जैन -आचार्य, पं.ज.ने.व्या.प्रबंध संस्थान,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
02. डॉ.राकेश दण्ड, -विद्यार्थी कल्याण संकाय, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
03. डॉ.रामेशवर सोनी - विभागाध्यक्ष,वाणिज्य अ.शा.,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि, वे निरीक्षण प्रतिवेदन में परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर पूर्व एवं वर्तमान का सम्बद्धता शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ प्राधिकृत, संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र भवन,क्रीड़ा परिसर, एवं पाठ्यक्रम आर्डिनेंस तथा पिछले सत्र में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गयी विषयों की सम्बद्धता की शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण-पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट अनुशंसाए अंकित करें।

संबंधित पाठ्यक्रम की मान्यता देने के लिये महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाऐं/संसाधन के भौतिक सत्यापन का समस्त उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति का होगा। समिति के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ सूचनार्थ कि कृपया अविलम्ब उक्त महाविद्यालय का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन एवं महाविद्यालय के निरीक्षण के दौरान की गई विडीयोग्राफी की सी.डी. दो प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त महाविद्यालय को सम्बद्धता/निरंतरता दी जा सके। विडीयोग्राफी के खर्च का वहन महाविद्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

निरीक्षण समिति/समिति के सदस्यों का पारिश्रमिक/यात्रा भत्ता तथा समिति द्वारा प्रयुक्त वाहन के वास्तविक व्यय आदि की राशि का भुगतान संबंधित महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

आदेशानुसार

18/5

प्रो.इंचार्ज(अकादमिक)

निरंतर...02